29/6/22 सुनवाई पत्र, हेतु अधि० वादी हाजिर नहीं। प्रतिवादी अधिमान हाजिर। अधि० वादी को आवाजनामा भेजा गया, किन्तु प्राप्त नहीं। अधि० वादी के विरुद्ध सूचना प्राप्त नहीं अतः से अधि० वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 RTA 1959 का अग्रग्रहणी। अग्रग्रहणी पेटरी पर खारीज किया जाता है। सुनवाई की गणना निर्णीत इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार भेजी जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जाकर दिनांक 11.00

(नीता वसीटा)
सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
राशमी
29/6/2022

Signature Not Verified

Digitally signed by Neeta Vaseeta
Date: 2022.06.29 12:50:42 IST
Reason: SelfAttested